**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील क्र० 430/2011**

लल्लू उर्फ सुखनंदन कुर्रे, आयु लगभग 19 वर्ष, पिता देवानंद कुर्रे, निवासी गाँव–पदमतारा, थाना–गुमका, तहसील एवं जिला–राजनांदगांव ( छ०ग० )

**---- अपीलार्थी**

**विरुद्ध**

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना –गुमका, जिला–राजनांदगांव ( छ०ग० )

**---- उत्तरवादी /राज्य**

---

अपीलार्थी हेतुः श्री राकेश ठाकुर, अधिवक्ता

उत्तरवादी /राज्य हेतुः श्रीमती फौजिया मिर्जा, अतिरिक्त महाधिवक्ता

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया न्यायाधीश**

**निर्णय**

(22.05.2020)

**न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया के अनुसारः**

1. इस अपील में, सत्र विचारण क्रमांक 109/2009 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा दिनांक 15.04.2011 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को दिनांक 26.10.2009 को माना बाई की हत्या कारित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास एवं 500/– रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम की दशा पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अधीन गृह अतिचार हेतु पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम की दशा पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा, से सिद्धदोष व दण्डित किया गया है।

**2.** अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में,यह है कि अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई (मृतका माना बाई की माता) की जानकारी के अनुसार, दिनांक – 26.10.2009 को ग्राम पदमतारा, गुमका पुलिस द्वारा देहाती मर्ग (प्र०–पी/14) लगभग 21:15 बजे एवं देहातिनालिशी (प्र०–पी/7) लगभग 21:30 बजे दर्ज किए गए थे कि उसकी पुत्री की उसके घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसी दिन मर्ग सूचना क्र० (प्र. पी/15) भी लगभग 22:40 बजे दर्ज की गई थी । प्र०–पी /14, प्र०–पी/7 एवं प्र०–पी/15, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०–पी/6) के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना–गुमका, राजनांदगांव में भा.दं.सं. की धारा 303 के अपराध क्रमांक 162/2009 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था।

**3.** अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, पंचो को प्र०–पी/1 के माध्यम से सूचना दिया एवं देवराम साहू (अभियोजन साक्षी –2) ,कनक कुमार साहू (अभियोजन साक्षी –5 ) ,एवं अन्य साक्षियों की उपस्थिति में मृतका माना बाई के शव का पंचनामा (प्र०–पी /2) तैयार किया । मृतका–माना बाई के शव को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, राजनांदगांव भेजा गया, जहां दो डॉक्टरों की एक टीम डॉ. राजेश सदानी (अभियोजन साक्षी –14) एवं डॉ. पी. भालेराव द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्र०–पी/16ए) तैयार की। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्र०–पी/16ए) के अनुसार, उन्हें मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) शरीर पर 2.5 सेमी x 1.5 सेमी x मांसपेशियों में गहरे आकार के छह कटे हुए घाव थे एवं गर्दन के पीछे मध्य एवं बाईं ओर तीखे निशान थे;

ii) 6 सेमी x 1 सेमी x हड्डी की गहराई के आकार का हुआ घाव,जो तीखे निशान के साथ पश्चकपाल पर क्षैतिज रूप
से था ;

iii) मुंह के ऊपर गाल के बाईं ओर 3 सेमी x 2 सेमी x 1 सेमी आकार का कटा हुआ घाव था;

iv) दाहिनी आंख के नीचे 3 से. मी. x 1 से. मी. के आकार का कटा हुआ घाव;

v) माथे के दाहिने हिस्से में 2 सेमी x 2 सेमी x हड्डी के आकार का कटा हुआ घाव ;

vi) चेहरे के दाहिने तरफ 2 सेमी x 1 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव एवं कान के सामने मौजूद था;

vii)दाहिने अंगूठे के आधार पर 4 सेमी x 3 सेमी x हड्डी की गहराई में कटा हुआ घाव,कंपो–डिस्लोकेशन के साथ;

viii) दाहिने हाथ पर 4 वीं एवं 5 वीं उंगलियों के बीच 4 सेमी x 3 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव;

ix) दाहिने हाथ के अंदर 3 सेमी x 2 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव;

x) पेट के बीच में 2.5 से. मी. x 0.5 से. मी. के आकार का कटा हुआ घाव;

xi) बाएं हाथ की चारों उंगलियों पर 2 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी के आकार का कटा हुआ घाव;

xii) श्रोणि गुहा में कमर एवं जांघ के बीच गहराई में 3 सेमी x 2 सेमी x 8 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव;

xiii) पिछली चोट के नीचे योनि के बाईं ओर 3 सेमी x 2 सेमी x 5 सेमी के आकार का कटा हुआ घाव।

चिकित्सकों का अभिमत था कि मृत्यु का कारण कई घावों से रक्तस्त्राव एवं कठोर एवं नुकीली वस्तु के कारण होने वाला रक्तस्रावी सदमा था। मृत्यु की अवधि 16–18 घंटों के भीतर थी।उन्होंने यह भी मत दिया कि जहां तक बलात्कार का संबंध है, कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है, इसलिए योनि स्मीयर बनाया गया एवं एफएसएल जांच के लिए पुलिस आरक्षक को सौंप दिया गया।डॉ. राजेश सदानी (अभियोजन साक्षी–14) ने अपराध के हथियार अर्थात दरांती की भी जांच की एवं कहा कि मृतका के शरीर पर पाए गए घाव उक्त दरांती के कारण हो सकते हैं एवं मृत्यु का कारण बन सकते हैं।उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्र०पी /18 ए दी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**4.** अन्वेषण के दौरान, घटना स्थल से रक्त से सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, दरांती एवं मृतका के बाल जब्त किए गए।अपीलार्थी की शर्ट एवं जींस को प्र०पी/4 के माध्यम से जब्त कर लिया गया। नजरी नक्शा (प्र०पी/21) अन्वेषण अधिकारी अनीता सागर अभियोजन साक्षी–13 द्वारा तैयार किया गया । प्र०पी/10 अस्पताल से मृतका के रक्त एवं योनि स्लाइड से सने कपड़ों की जब्ती की गई है।जब्त की गई वस्तुओं को एफ. एस. एल. जांच के लिए प्र०पी/12 के माध्यम से भेजा गया एवं जिसकी रिपोर्ट प्र०पी/23 के रूप में प्राप्त हुई ,जिसके अनुसार वस्तुओं–'ए'–रक्त से सनी हुई मिट्टी; 'बी'–मैदान की मिट्टी; 'सी1' सलवार, 'सी2' कुर्ति, 'सी3' अंडरवियर एवं मृतका का 'सी4' समीज; अपीलार्थी का 'ई 1' टी–शर्ट एवं 'ई 2' पैंट; घटना स्थल से जब्त किए गए 'एफ 1' दरांती एवं 'एफ 2' बाल एवं 'जी' मृतका के बाल एवं मानव वीर्य 'डी1' एवं 'डी2' स्लाइड पर पाए गए थे। रक्त दाग वाली वस्तुओं को आगे की जांच के लिए सिरम विज्ञान प्रयोगशाला,कोलकाता भेजा गया एवं मृतका का सामान 'सी1' सलवार एवं अपीलार्थी का सामान 'ई 2' पैंट में 'बी' समूह के मानव रक्त के दाग पाया गया। सिरम विज्ञानी की रिपोर्ट प्र०पी/24 है।

**5.** अन्वेषण के दौरान, मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1), देवाराम (अभियोजन साक्षी–2), सुखदेव (अभियोजन साक्षी–3), ज्योतिश (अभियोजन साक्षी–4), कनक साहू (अभियोजन साक्षी–5), दयावती, सोनसाई, ठाकुर राम एवं अन्य साक्षियों के केस डायरी साक्ष्य दर्ज किए गए। इस तथ्य का खुलासा मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1) ने किया कि घटना की दिनांक को वह एवं उनकी पुत्री माना बाई अपने खेत में काम कर रहे थे। शाम को लगभग 04–04:30 बजे, अभियुक्त/अपीलार्थी लल्लू उर्फ सुखनंदन उसके खेत से गुजर रहा था, जब अभियोजन साक्षी–1 ने लल्लू से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि वह मछली पकड़ने जा रहा है एवं उसने लल्लू को यहाँ नहीं आने के लिए कहा।इसके बाद, मृतका माना बाई अपने घर चली गईं। शाम को लगभग 06 बजे अभियोजन साक्षी–1 भी अपने घर चली गई, घर में घुसी और देखा कि उसकी पुत्री जमीन पर रक्त से लथपथ मृत

अवस्था में पड़ी थी। अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई ने अपने केस डायरी साक्ष्य में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाया कि उसने उसकी पुत्री की हत्या की है।

**6.** सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थी लल्लू उर्फ सुखनंदन के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 450 एवं 302 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया एवं विचारण न्यायाधीश ने उसके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 450 एवं 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किए। अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन ने 14 साक्षियों –मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1), देवाराम साहू (अभियोजन साक्षी–2), सुखदेव (अभियोजन साक्षी –3), ज्योतिश (अभियोजन साक्षी–4), कनक कुमार साहू (अभियोजन साक्षी–5), मनूराम देवदास (अभियोजन साक्षी–6), सुखलाल (अभियोजन साक्षी–7), जयप्रकाश (अभियोजन साक्षी–8), टीकम प्रसाद (अभियोजन साक्षी–9), सीताराम (अभियोजन साक्षी–11), रामनरेश (अभियोजन साक्षी–12), अनीता सागर (अभियोजन साक्षी–13) एवं डॉ. राजेश सदानी (अभियोजन साक्षी–14) का परीक्षण कराया गया। अपीलार्थी का साक्ष्य दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया , जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से अस्वीकार किया एवं स्वयं की निर्दोषता एवं प्रकरण में झुठे फँसाए जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थी ने अपने दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के साक्ष्य में कथन किया कि पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया, उसे दो दिनों तक पुलिस थाने में रखा एवं उसे पीटा, जिसके कारण उसे चोट लगी एवं उसके चोट से रक्तस्त्राव हुआ । अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**7.** विचारण न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, आक्षेपित निर्णय द्वारा इस निर्णय के उपरोक्त पैरा–1 में उक्त अपीलार्थी को सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है, अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

**8.** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तर्क है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 450 एवं 302 के अंतर्गत विरचित आरोप को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, क्योंकि अभियोजन द्वारा कोई संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि इस प्रकरण में, कोई चक्षुदर्शी नहीं है; न ही अपीलार्थी को अंतिम बार घटना स्थल के पास मृतका के साथ देखा गया था। वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि केवल अपीलार्थी के कपड़ों की जब्ती(प्र०पी/4) के आधार पर जो उसने पुलिस अभिरक्षा में पहने हुए थे, पुलिस द्वारा दिनांक 27.10.2009 को थाना गुमका में उतरवा दिया गया एवं उनके द्वारा जब्त कर लिया गया ,उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1) ने घटना की दिनांक को लगभग 04–04:30 शाम को, जब वह एवं उसकी पुत्री (मृतका) अपने खेत में काम कर रहे थे, उस समय अपीलार्थी उनके खेत से गुजर रहा था एवं जब अभियोजन साक्षी–1 शाम को लगभग 06:00 बजे अपने घर पहुंची, उसने अपनी पुत्री को रक्त से लथपथ फर्श पर मृत अवस्था में देखा, किसी भी साक्षी ने अपीलार्थी को उसके घर के पास नहीं देखा है जहां यह घटना हुई थी। वह यह तर्क भी प्रस्तुत करते है

कि घटना दिनांक 26.10.2009 को लगभग 04–04:30 अपराह्न को हुई एवं दिनांक 27.10.2009 को अपीलार्थी के रक्तरंजित कपड़े, जो उसने पुलिस की अभिरक्षा में पहने हुए थे, जब्त कर लिए गए, जिन पर सिरम विज्ञानी रिपोर्ट (प्र०पी /24) में 'बी' समूह मानव रक्त पाया गया एवं वही रक्त समूह मृतका के सलवार पर भी पाया गया, अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि अपीलार्थी एवं मृतका के सलवार के कपड़ों पर पाया गया रक्त अपीलार्थी या मृतका का था। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि अपीलार्थी पहले ही अपने बचाव में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के साक्ष्य में कथन किया कि पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया, उसे दो दिनों तक पुलिस थाने में रखा एवं उसे पीटा, जिसके कारण उसे चोट लगी एवं उसकी चोट से रक्त निकला। वह तर्क प्रस्तुत करते है कि जब तक रक्त की उत्पत्ति एवं समूह साबित नहीं हो जाता है, तब तक यह नहीं माना जा सकता है कि मृतका के सलवार पर पाया गया रक्त अपीलार्थी का था। यद्यपि, अपीलार्थी या मृतका के रक्त की उत्पत्ति एवं समूह के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों **सुभाष चंद** विरुद्ध **राजस्थान राज्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 702** एवं **शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित** विरुद्ध **महाराष्ट्र राज्य, (1981) 2 एस. सी. सी. 35** के प्रकरण पर अवलंब किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**9.** दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्णतः न्यायोचित है एवं इसमे कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। वह आगे तर्क करती है कि अपीलार्थी के पैंट एवं मृतका के सलवार पर पाए गए मानव रक्त के 'बी' समूह को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उचित रूप से सिद्धदोष किया है एवं उपरोक्त तरीके से दण्डित किया है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के **बावराव भास्कर** विरुद्ध **महाराष्ट्र राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 745** के निर्णय का अवलंब लिया।

**10.** हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया है।

**11.** अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, एफ. एस. एल. रिपोर्ट एवं सिरम विज्ञान रिपोर्ट पर आधारित है।अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियाँ यह हैं कि घटना के दिनांक को, उसे अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई के खेत से गुजरते हुए देखा गया ,जब वह अपनी पुत्री (मृतका) के साथ शाम को लगभग 04–04:30 बजे अपने खेत में काम कर रही थी । कुछ समय बाद मृतका अपने घर चली गई एवं जब अभियोजन साक्षी–1 अपने घर में दाखिल हुई तो उसने मृतका को रक्त से लथपथ फर्श पर मृत पड़ा देखा। अपीलार्थी के विरुद्ध अन्य अभियोगात्मक परिस्थिति उसकी पैंट की जब्ती है जिसमें 'बी' समूह का मानव रक्त है जो एफएसएल रिपोर्ट एवं सिरम विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सलवार पर भी पाया गया था।

**12.** शव परीक्षण रिपोर्ट (प्र०पी/16ए) के अनुसार, दो चिकित्सकों डॉ. राजेश सदानी एवं डॉ. पी. भालेराव की एक टीम द्वारा शव परीक्षण किया गया, जिन्होंने मृतका के शरीर पर कई घाव पाए। डॉ० राजेश सदानी की जांच अभियोजन साक्षी– 14 के रूप में की गई है अन्य डॉक्टर अर्थात डॉ. पी. भालेराव की जांच अभियोजन द्वारा नहीं की गई है।डॉ. राजेश सदानी (अभियोजन साक्षी–14) ने

मृतका व्यक्ति पर पाई गई चोटों को विधिवत साबित किया है। शव परीक्षण सर्जन के अनुसार, मृत्यु का कारण कई घावों से रक्तस्त्राव के कारण रक्तस्त्रावी सदमा था एवं चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु के कारण हुई थीं। मृत्यु की अवधि 16–18 घंटों के भीतर थी। डॉ. राजेश सदानी (अभियोजन साक्षी –14) ने अपराध के हथियार अर्थात दरांती की भी जांच की एवं विचार दिया कि मृतका के शरीर पर पाए गए घाव उक्त दरांती के कारण हो सकते हैं एवं प्र०पी/18 ए मृत्यु का कारण बन सकता है। मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1) द्वारा पंचनामा रिपोर्ट (प्र०पी/2) साबित की गई है, जिन्होंने मृतका को मृत अवस्था में अपने घर में रक्त से लथपथ पाया। इस प्रकार, शव परीक्षण रिपोर्ट (प्र०पी/16 ए), अभियोजन साक्षी– 14 डॉ. राजेश सदानी एवं अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई द्वारा साबित पंचनामा रिपोर्ट (प्र०पी/2) के रूप में उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य से, अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतका माना बाई की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी।

**13.** अब हम अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हैं।अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का कोई मेमोरेंडम दर्ज नहीं किया गया था, न ही अपीलार्थी से तथ्य या सामग्री पाई गई है। पुलिस द्वारा घटना के अगले दिन अर्थात दिनांक 27.10.2009 को केवल अपीलार्थी के कपड़े जब्त किए गए जो उसने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए पहने थे। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थिति यह है कि दिनांक 26.10.2009 की शाम को लगभग 04–04:30 बजे, अपीलार्थी ने अभियोजन साक्षी–1 के खेत से गुजरते समय मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1) एवं उनकी पुत्री (मृतका) से मुलाकात की एवं मृतका का शव शाम को लगभग 06:00 बजे अभियोजन साक्षी–1 के घर पर मिला।

**14.** मृतका माना बाई की माँ, अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि घटना के दिनांक को लगभग शाम 4 बजे, वह एवं उनकी पुत्री अपने खेत में धान की फसल काट रहे थे, उस समय अपीलार्थी वहाँ आया, फिर उसकी पुत्री ने अपीलार्थी से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था, जिस पर उसने बताया कि वह मछली पकड़ने जा रहा था। इसके बाद, उसने (अभियोजन साक्षी–1) अपनी पुत्री को घर भेज दिया एवं वह (अभियोजन साक्षी–1) कुंआ बाड़ी की ओर चली गई। अभियोजन साक्षी–1 ने आगे कथन किया है कि शाम को लगभग 05:30 – 06:30 वह अपने घर पहुंची, उसके घर का दरवाजा बंद था एवं वह 'माना' कहकर चिल्लाई एवं घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद, वह टंकी की ओर गई एवं अपने घर वापस लौटी, वह फिर से 'माना' कहकर चिल्लाई, फिर उसने अपने घर में प्रवेश किया एवं देखा कि उसकी पुत्री रसोई में मृत अवस्था में रक्त से लथपथ पड़ी थी एवं रक्त से लथपथ दरांती भी वहाँ पड़ी थी। मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1) ने अपनी प्रति–परीक्षा के पैरा–10 में स्वीकार किया कि उनकी पुत्री उनके खेत से शाम को 05:00 बजे अपने घर गई थी अभियोजन द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि अपीलार्थी का उनसे कोई शत्रुता थी या उसके पास मृतका माना बाई की हत्या करने का कोई कारण था। इसलिए, अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध कारण साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है, न ही अपीलार्थी एवं मृतका के परिवार के मध्य कोई पूर्व विवाद था।

**15.** अभियोजन साक्षी– 2 देवाराम साहू (मृतका का भाई) पंचनाम (प्र०पी/2) , घटना स्थल से दरांती की जब्ती (प्र०पी /3) एवं अपीलार्थी के कपड़ों की जब्ती (Ex.–P/4) का साक्षी है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन साक्षी– 2 ने कथन किया है कि घटना के दिनांक की सुबह, वह काम पर गया था एवं शाम को लगभग 08:30 बजे वह अपने घर लौटा, उसकी पत्नी घर में नहीं थी, फिर पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसकी पत्नी उसकी मां के घर गई है। जब वह अपनी मां के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बहन (मृतका) की हत्या कर दी गई है। अभियोजन साक्षी–2 ने आगे कथन किया है कि उसकी माँ (अभियोजन साक्षी–1) ने घटना के बारे में बताया।

**16.** अभियोजन साक्षी– 4 ज्योतिश को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। वह कथन करता है कि घटना के दिनांक को शाम को लगभग 06:00 जब वह मनु होटल (अभियोजन साक्षी– 6 का होटल) में बैठा था, तो अपीलार्थी पहले से ही वहाँ बैठा था एवं वह(अपीलार्थी) सामान्य स्थिति में था।

**17.** अभियोजन साक्षी– 5 कनक कुमार साहू पंचनामा (प्र०पी /2) एवं घटना स्थल (प्र०पी /3) से दरांती की जब्ती का साक्षी है। अभियोजन साक्षी– 5 ने कथन किया है कि उन्हें रामनाथ द्वारा किए गए टेलीफोन कॉल से इस घटना के विषय में ज्ञात हआ कि माना बाई की हत्या कर दी गई है एवं सूचना पर वह माना बाई के घर पहुंचा एवं माना बाई को कमरे में रक्त से लथपथ पड़ा देखा। अभियोजन साक्षी– 5 ने आगे कथन किया है कि अभियोजन साक्षी–1 ने उसे घटना के विषय में बताया।

**18.** अभियोजन साक्षी– 6 मनूराम देवदास पदमतारा गाँव में चाय एवं पान की दुकान (होटल) चला रहा था। उन्होंने कथन किया है कि घटना के दिनांक को शाम को लगभग 6:00 बजे, वह अपने होटल में था, उस समय अपीलार्थी वहाँ आया एवं पानी पिया। अभियोजन साक्षी– 6 ने आगे कहा कि उस समय अपीलार्थी सामान्य स्थिति में था एवं उसने बीड़ी की मांग की, बीड़ी पीने के बाद वह वहाँ से चला गया। अभियोजन साक्षी– 6 ने पैरा–2 में यह भी कथन किया है कि उस समय ज्योतिश भी उसके होटल में बैठा था एवं अपीलार्थी उस दिन लगभग 30–35 मिनट तक उसके होटल में रहा एवं उसके जाने के बाद, उसने (अभियोजन साक्षी –6) सुना कि माना बाई की किसी ने हत्या कर दी है।

**19.** अभियोजन साक्षी– 8 जयप्रकाश प्रधान आरक्षक हैं, जिन्होंने गांव पदमतारा में देहातीनलसी (प्र०पी/7) दर्ज करने के पश्चात पुलिस थाने को सूचित किया एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र०पी/6) को अभियोजन साक्षी– 11 गिरधारीदास मानिकपुरी द्वारा पंजीकृत किया गया। अभियोजन साक्षी –9, आरक्षक टीकम प्रसाद ने शव परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात मृतका के शव को सुपुर्दनामा(प्र०पी/8) पर मृतका के परिवार को सौंप दिया; प्र०पी/10, प्र०पी /11 जब्त किया एवं उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अभियोजन साक्षी– 10 सीताराम गुमका थाना में सफाईकर्मी है एवं जब्ती का साक्षी है। अभियोजन साक्षी– 11 गिरधारीदास मानिकपुरी प्रधान आरक्षक हैं, जिन्होंने देहाती मर्ग (प्र०पी /14), विलय सूचना (प्र०पी/15) पंजीकृत किया है एवं इसे साबित किया है। प्रधान आरक्षक अभियोजन साक्षी– 12 रामनरेश ने प्र०पी/11 ,अपीलार्थी की दरांती एवं कपड़े जब्त किए एवं उसे साबित किया है। अभियोजन साक्षी– 13 अनीता सागर अन्वेषण अधिकारी हैं।

**20.** इस प्रकरण में, अभियुक्त/अपीलार्थी लल्लू उर्फ सुखनंदन का कोई मेमोरेंडम साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया था, न ही उसके पास से कोई वस्तु बरामद की गई थी, केवल उसके कपड़े उतारने के बाद, उसे पुलिस थाने में पुलिस अभिरक्षा में प्र०पी/4 को ,दिनांक– 27.10.2009 को जब्त किया गया था,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जबकि घटना दिनांक– 26.10.2009 को हुई थी। अपीलार्थी से कथित तौर पर जब्त की गई पैंट में 'बी' समूह का मानव रक्त था, इसी प्रकार मृतका के सलवार में भी 'बी' समूह का मानव रक्त था।चूँकि रक्त समूह अपीलार्थी एवं मृतका के कपड़ों पर मेल खा रहे थे, इसलिए विचारण न्यायालय ने केवल अनुमान के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया है।

**21.** सुभाष चंद (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ;

> "वर्तमान प्रकरण में घटना के समय अभियुक्त की आयु लगभग 21 वर्ष थी। गिरफ्तार होने पर उसका चिकित्सा परीक्षण करवाया गया एवं उसे एक शक्तिशाली और सक्षम व्यक्ति पाया गया। अंडरवियर पर वीर्य के दाग की उपस्थिति, यह मानते हुए कि अंडरवियर अभियुक्त का है, यद्यपि यह अपने आप में अभियुक्त को संबंधित अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। इसलिए भी अंडरवियर पर बी समूह के रक्त के धब्बे मिलने को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अंडरवियर अभियुक्त का था एवं आगे इस बात की संभावना है कि अंडरवियर उस व्यक्ति के रक्त से सना हुआ था जिससे वह संबंधित था, या अभियुक्त यदि उसने इसे पहना था तो इससे अस्वीकार नहीं किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**22.** शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा–8 में अभिनिर्धारित किया है जो निम्नानुसार है ;

> "28. अपीलार्थी की पैंट पर 0.5 सेमी व्यास का 'बी' समूह का रक्त का धब्बा और उसके अंडरपैंट पर वीर्य का सूखा धब्बा पाया जाना, यह साबित करने के लिए बहुत कमज़ोर परिस्थितियाँ हैं कि अपीलार्थी ने सुनीता का बलात्कार किया या उसकी हत्या की। 'बी' समूह रक्त का एक असामान्य समूह नहीं है और इस संभावना को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि अपीलार्थी का रक्त उसी समूह का था। जहाँ तक अपीलार्थी के अंडरपैंट पर वीर्य के सूखे धब्बे का सवाल है, वह 30 साल का वयस्क व्यक्ति था और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि यह धब्बा लड़की पर उसके द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के दौरान हुआ था।"

**23.** वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन द्वारा अपीलार्थी एवं मृतका के रक्त समूह को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं इसलिए, अपीलार्थी के पैंट पर रक्त होने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है एवं इस प्रकार, अपीलार्थी का रक्तरंजित हुए पैंट की बरामदगी को उसके विरुद्ध एक दोषपूर्ण परिस्थिति नहीं माना जा सकता है।

**24.** अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई (मृतका की माँ) का केस डायरी साक्ष्य(प्रदर्शित नहीं) दिनांक– 27.10.2009 को दर्ज किया गया था जिसमें उसने कथन किया था कि घटना के दिनांक– अर्थात 26.10.2009 को अपीलार्थी लल्लू उसके घर के पास घूम रहा था एवं संदेह पर उसने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने उसके घर में प्रवेश किया, उसकी पुत्री माना की शील भंग करने की कोशिश की, जब उसकी पुत्री ने उसका विरोध किया, तो उसने दरांती के माध्यम से

उसकी हत्या कर दी। यद्यपि, न्यायालय में अपनी अन्वेषण के दौरान इस साक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को साबित नहीं किया गया है।

**25.** संदेह यद्यपि कितना भी ठोस क्यों न हो, अभियुक्त के अपराध का वास्तविक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है **सुजीत विश्वास** विरुद्ध **असम राज्य** ,**ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3817** ,के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संदेह, यद्यपि कितना भी ठोस क्यों न हो , साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। पैरा – 6 नीचे उद्धृत किया गया हैः

"**6.** संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, एवं कुछ ऐसा जो 'सिद्ध' किया जा सकता है' एवं कुछ ऐसा जो 'सिद्ध' किया जाएगा' के मध्य एक बड़ा अंतर है। दाण्डिक प्रकरण में, संदेह चाहे कितना भी ठोस क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है एवं न ही दी जानी चाहिए। यही कारण है कि 'हो सकता है' एवं 'होना ही चाहिए' के मध्य की मानसिक दूरी बहुत बड़ी है, एवं कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है। दाण्डिक प्रकरण में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि केवल अनुमान या संदेह कानूनी साक्ष्य का स्थान न ले। 'सत्य हो सकता है' एवं 'सत्य होना चाहिए' के मध्य की लंबी दूरी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस एवं निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से पूर्ण किया जाना चाहिए, इससे पहले कि एक अभियुक्त को दोषी के रूप में दोषी ठहराया जाए, एवं मूल एवं स्वर्णिम सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, 'सच हो सकता है' एवं 'सच होना चाहिए' के मध्य की दूरी को विचार में रखते हुए, न्यायालय को केवल अनुमानों एवं निश्चित निष्कर्षों के मध्य महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो प्रकरण की सभी विशेषताओं की पूर्ण एवं व्यापक सराहना के साथ–साथ रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के आधार पर निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर पहुंचे। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की असफलता से बचा जाए, एवं यदि किसी प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां ऐसी मांग करती हैं, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, यह विचार में रखते हुए कि एक युक्तियुक्त संदेह एक काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभावित संदेह नहीं है, किंतु एक युक्तियुक्त संदेह है जो कारण एवं सामान्य प्रकरण पर आधारित है।

(हनुमंत गोविंद नरगुंडकर एवं एक अन्य विरुद्ध म०प्र० राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343; राज्य के माध्यम से सी. बी. आई. विरुद्ध महेंद्र सिंह दहिया, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1017 एवं रमेश हरिजन विरुद्ध उ०प्र०. राज्य, ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1979)"

**26.** अपीलार्थी के विरुद्ध संदेह था क्योंकि वह अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी के घर के पास घूम रहा था एवं उसके खेत को पार करते समय उससे (अभियोजन साक्षी–1) मिला था, जहाँ वह एवं उसकी पुत्री काम कर रहे थे, जिसका अभियोजन साक्षी–1 ने विरोध किया था एवं उस कारण से अपीलार्थी ने मृतका की हत्या उसके घर में की होगी। यद्यपि, संदेह चाहे कितना भी ठोस हो, अभियुक्त के अपराध के वास्तविक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई के साक्ष्य में यह ज्ञात नहीं हुआ है कि अपीलार्थी एवं अभियोजन साक्षी–1 या उनके परिवार के सदस्यों के बीच कोई दुश्मनी थी। उनके (अभियोजन साक्षी–1) के अनुसार, उसने केवल अपीलार्थी के अपने खेत में आने का विरोध किया। अभियोजन द्वारा उद्देश्य को साबित करने के लिए कोई ठोस या वैधानिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलार्थी के विरुद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं है जो विचाराधीन अपराध में उसकी संलिप्तता को साबित करता हो । यद्यपि जिस प्रकार से घटना हुई,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उससे अपीलार्थी के विरुद्ध संदेह उत्पन्न् होता है,यह विधि का उचित रुप से स्थापित सिद्धांत है कि अपराध जितना गंभीर हो, साक्ष्य का स्तर उतना ही उच्च होता है एवं संदेह कितना भी ठोस हो,साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।

27. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के आरोप को उजागर करने हेतु,अभियोजन को परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को साबित करना होता है किसी अन्य व्यक्ति को छोड़कर जो केवल अभियुक्त के अपराध को साबित करता है जिसने अपराध किया हो । उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया है **शरद बिरदीचंद सारदा** विरुद्ध **महाराष्ट्र राज्य,(1984) 4 एस. सी. सी. 116**, जिसमें इसने रेखांकित किया है कि ऐसी शर्तें जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पूर्ण की जानी चाहिए एवं पैरा–153 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित की जानी चाहिएः

"153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से ज्ञात होता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण को पूर्ण रुप से स्थापित करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है,उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' एवं 'नहीं' स्थापित की जा सकती हैं।'साबित किया जा सकता है' एवं 'होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहेबराव बोबडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793:(ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622) जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईः

'निश्चित रूप से,यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए एवं न कि केवल दोषी होना चाहिए एवं 'हो सकता है' एवं 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है एवं कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि के लिए कोई उचित आधार न छोड़े।

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालना चाहिए एवं यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(पूर्वोक्त)उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब अपीलार्थी के कहने पर, उसकी कमीज बरामद की गई थी, तो उसके शरीर पर बिल्कुल कोई चोट नहीं थी, अपीलार्थी के शरीर से रक्त के धब्बों के उसकी कमीज में संचरित होने के प्रश्न को खारिज कर दिया गया था।उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलार्थी की शर्ट पर पाए गए रक्त के धब्बे केवल मृतका के हो सकते हैं एवं कोई एवं नहीं एवं अपीलार्थी की ओर से कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि उसकी शर्ट पर रक्त के धब्बे कैसे पाए गए, इसलिए, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

**29.** वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन साक्षी–1 मोहिनी बाई के साक्ष्य के अनुसार, 26.10.2009 पर लगभग 04–04:30 शाम को अपीलार्थी मोहिनी बाई (अभियोजन साक्षी–1) के खेत को पार करके मछली पकड़ने जा रहा था, उस समय वह अभियोजन साक्षी–1 से मिला एवं उसके बाद वह अभियोजन साक्षी– 6 मनूराम के होटल में पहुंचा एवं 05 बजे से अभियोजन साक्षी– 6 के होटल में बैठा हुआ था:30 शाम 6 बजे तक:00 अपराह्न एवं इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने पानी पिया।उस समय अपीलार्थी सामान्य स्थिति में था एवं उसने पी. डब्ल्यू.–6 से धूम्रपान के लिए बीड़ी की मांग की एवं बीड़ी पीने के बाद वह अभियोजन साक्षी–6 के होटल से चला गया।इसके अलावा, हालांकि अभियोजन साक्षी– 4 ज्योतिश को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, उन्होंने इस तथ्य का भी समर्थन किया है कि घटना की तारीख लगभग 06 बजे:00 शाम को जब वह मनु होटल (अभियोजन साक्षी–6 का होटल) पहुंचे, तो अपीलार्थी पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था एवं वह (अपीलार्थी) सामान्य स्थिति में था।अभियोजन साक्षी–6 मनूराम एवं अभियोजन साक्षी–4 ज्योतिश के साक्ष्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि दोनों साक्षियों ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि जब अपीलार्थी होटल में बैठा था, तो उसके कपड़े रक्त से सना हुआ था।इस प्रकरण में, अपीलार्थी एवं मृतका के रक्त समूह का परीक्षण नहीं किया गया था ताकि साबित करें कि अपीलार्थी के पैंट के साथ–साथ मृतका के सलवार पर पाए गए 'बी' समूह के रक्त के धब्बे अपीलार्थी या मृतका के थे।जहाँ तक अपीलार्थी के कपड़ों पर पाए गए 'बी' समूह के रक्त के धब्बों का संबंध है, अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अपने 313 बयान में कहा है अर्थात पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार अर्थात या, उसे दो दिनों तक थाना में रखा एवं उसे पीटा, जिसके कारण उसे चोट लगी एवं उसकी चोट से रक्त निकला, इसलिए अपीलार्थी ने अपने 313 सीआरपीसी बयान में वैध स्पष्टीकरण दिया है।(पूर्वोक्त)

**30.** उपरोक्त चर्चाओं एवं उपरोक्त निर्णयों को विचार में रखते हुए इस बात से आश्वस्त है कि अभियोजन ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है, क्योंकि न तो मृतका के साथ अपीलार्थी को आखिरी बार देखा गया है एवं न ही अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मकसद साबित हुआ है, न ही अपीलार्थी एवं मृतका के रक्त की उत्पत्ति एवं समूह साबित हुआ है या एफएसएल रिपोर्ट एवं सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट अपीलार्थी को विचाराधीन अपराध से जोड़ती है। वह संदेह का लाभ देकर आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है। तदनुसार, हम दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं एवं अभियुक्त/अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 302 एवं 450 के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त करते हैं। यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 21.08.2012 के बाद से जमानत पर है, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उसका जमानत बंधपत्र आज से छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**31.** परिणामस्वरुप ,वर्तमान दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है।

सही/- सही /-

**(प्रशांत कुमार मिश्रा)** **(गौतम चौरड़िया)**

**न्यायाधीश** **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।